

अनुभव प्रमाण पत्र. सन्निहित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के हस्ताक्षर पर जारी किया जाना है।

अनुभव प्रमाण पत्र

(ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम) विकास

मे. गति-रूपाव

ग्राम प्रधान/सरपंच. ग्राम पंचायत

पत्ती

जनपद

काराङ्की

श्री/श्रीमती

छा. रूपाव

प्रमाणित

करता/करती

है कि

(उन्नीटवार का नाम). पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती

निवासी

ग्राम

नेवादी

(पिता/माता

का

नाम). जिसका

आपने विवरण जगह निवासी के रूप में

(आधार सत्यापन) है. मे

अ. आधार सत्यापन

3356, 9589, 6918

मे पंचायत विवरण पञ्चायती के संचालन/चलविका

पत्ती

और रूपाव मे न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मे प्रमाणित करता/करती है कि उपरोक्त सभी पंक्तियों में मे जान और विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर भ्रम/गलत पाये जाते हैं तो इस सत्यापन मे कोई एक नियमों के अन्तर्गत मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मे स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।